

वस

12/12/15 बकुंफरी, उपग्रह / कादी एम कादी के अधिवक्ता
उपरिष्ठ उन्होंने निवेदन किया की प्रकरण सम्बंधित भूमियां
बाबत अब कोई विवाद नहीं है अतः हम प्रकरण को आगे नहीं
चलाना चाहते हैं। अतः प्रकरण की इसी स्तर पर कार्यवाही शेष
की जावे। कादी एम कादी के वकील के निवेदन को स्वीकार
किया जाता है व प्रकरण की कार्यवाही इसी स्तर पर शेष
की जाती है। राजावली फैसला शुभर होकर नग्वर से कम
हो बाद तकमील दफतर दाखिल है।

उपखण्ड अधिकारी
नसूदा (अजमेर)

आवे
में आगे
कार्यवाही
नहीं
चाहते
हैं।
उपखण्ड
अधिकारी
नसूदा
अजमेर

